

सरदार पटेल की जेल यात्रा

Dr. Archana R. Bansod

M.A., Ph.D., NET. & SET (History) Assistant Professor & Director I/C
Centre for Studies & Research on Life & Work of Sardar Patel (CERLIP)
Vallabh Vidyangar, Anand, Gujarat, India

परिचय : भारत के पहले उपप्रधानमंत्री और पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल का स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान है। जिसके कारण उन्हें भारत का लोह पुरुष कहा जाता है। महात्मा गांधीसे प्रेरित हो के उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने बोरसद, बारडोली, नागपुर जैसे सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय कायदेभंग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। देश को अंग्रेजों की गुलामीसे आजाद करने के लिए ६ बार जेल में गए। वे ६ साल से अधिक जेल में रहे। १९३० में साबरमती जेल से उनका जेल प्रवास सुरु होता है। उसके बाद उनको यरवडा और नाशिक जेल में रखा गया। सरदार का जेल जीवन उनके हाथ से लिखी हुई डायरी और महादेव देसाई ने लिखी डायरीसे पता चलता है। वे कैद में होते हुए भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे और देश की सेवा की है। यह बात इस लेख में बतायी है।

शब्दकुंजी : सरदारा पटेल, सरदार की गिरफ्तारी, जेल

पार्श्वभूमि :

३१, दिसंबर, १९२९ को काँग्रेस से लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। सरकारने पूर्ण स्वराज्य की मांग पूरी नहीं की। उसके बाद गांधीजीने लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनके सामने ११ मांगे राखी। इन माँगों में कहा गया कि जमीन के लगान में ५० फीसदी कम कर दी जाए, नमक कर हटा दिया जाए, ऊँचे दर्जे के अफसरों के वेतन आधे या उससे भी कम कर दी जाए, विदेशी कपड़ों पर रक्षात्मक चुंगी लगा दी जाए, समुद्र तट का व्यापार भारतीयों के हाथ में सुरक्षित रहे, जिन राजनीतिक कैदियों को हत्या करने या हत्या करने के प्रयत्न के आरोप में सजा हुई है, उनके शिवाय तमाम राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए अथवा अदालतों में उनपर मुकदमें चलाए जाए, जिन भारतीयों को देश से निकाल दिया गया हो, उन्हें देश में वापस लाने की इजाजत दी जाए।

ब्रिटिश सरकारने महात्मा गांधी की माँगों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसलिए गांधीजी को लगा कि अब लड़ाई छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। गांधीजीने देशव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए सरकार के नमक क़ानून को भंग करने

का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने सूरत जिले में स्थित दांडी गाँव को चुना। गांधीजी ने घोषणा की, कि वे १२ मार्च को साबरमती आश्रम से कुछ चुने हुए सत्याग्रहियों के साथ पैदल कुच करेंगे और दांडी गाँव के समुद्रतट पर पहुंचकर कुदरती तौरपर बना हुआ नमक उठाकर नमक क़ानून भंग कर देंगे। इससे सारे देश में नमक क़ानून के भंग का काम शुरू हो जाएगा, जो शीघ्र ही एक व्यापक आंदोलन का रूप ग्रहण करेगा।

सरदार की गिरफ्तारी (पहलीबार) :

सरदारा पटेल ने अपने लिए यह कार्य चुना था कि गांधीजी की यात्रा के दौरान उनके मार्ग में पड़नेवाले स्थानों का दौरा किया जाए और लोगों को लड़ाई के लिए तैयार किया जाए। सरदार ने अपने कार्यक्रम को अमल में लाने की तैयारी शुरू कि लेकिन उन्हें ७ मार्च, १९३० को बोरसद तालुके के रास गाँव में गिरफ्तार किया। सरदार ने रास की सार्वजनिक सभा में भाषण नहीं दिया था। वे भाषण देनेवाले थे कि तभी उन्हें भाषण न देने का नोटिस दिया गया। सरदार ने नोटिस का उल्लंघन किया। उन्हें बोरसाद लाया गया। वहा मजिस्ट्रेट की अदालत में उनपर मुकदमा चलाने का नाटक किया गया और उन्हें तिन महीने की सादी कैद और पांच सो रूपया जुर्माना और

जुर्माना न दे तो तीन सप्ताह की और कैद की सजा दी गई। बोरसद से उन्हें सीधे अहमदाबाद लाया गया। रास्ते में उन्होंने अपने मित्र डॉ. कानूनगो के यहाँ भोजन किया। उनकी मोटर गांधीजी के साबरमती आश्रम के सामने भी ठहरी। सरदार को साबरमती जेल में रखा गया।

सरदार पटेल ७ मार्च से २६ जून, १९३० तक साबरमती जेल में रहे। पुलिस सुपरीटेंडेंट बिल्लोमोरिया ने सरदार को गिरफ्तार कर जेल तक पहुँचाया था। वे सरदार पटेल को पकड़ते और अलग होते समय खूब रोए। सरदार को तिन कम्बल दी गए जिन्हें बिछाकर वे सोए। दुसरे दिन अर्थात् ८ मार्च, १९३० को डॉक्टरी परीक्षा हुई। उनका वजन १४६ पाँड निकला, ऊँचाई ५ फुट साडे पाँच इंच। उन्हें कई हत्यारे और अपराधियों के बैरक में रखा गया। उनको कैदी नं. १५७१० दिया गया। जेल में बिजली की खास सुविधा नहीं थी। खाने को ज्वार की कड़क रोटी मिलती थी। रोटी इतनी कड़क होती कि उसे पानी में भिगों के खाना पड़ता था। उनके साथ रहने वाले कैदीयों का व्यवहार सौजन्यपूर्ण था। उनको जिस रूम में रखा था, उसमें खूनी कैदी भी थे। रातको सभी कैदियों को एक ही रूम में रखा जाता था। सरदार 'क' वर्ग के कैदियों की सुविधाएँ पाने के अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने जिद की कि मुझे 'ग' वर्ग के श्रेणी में रखा जाए। उनको सामान्य कैदी की तरह भोजन मिलता था। १० मार्च, १९३० को महादेव देसाई और आचार्य कृपलानी ने जेल में सरदार पटेल से भेट की। जेल में किस तरहसे सरदारको सुविधाएँ मिल रही हैं, उनको खाना कैसे मिल रहा है, इन सभी बातों को लेके दोनों के बीच में चर्चा हुई। महादेव देसाईने अपने भेट का विवरण यंग इंडिया में प्रकाशित कर दिया। इस समाचार के बाद सरदार पटेल को जेल में कुछ सुविधाएँ प्रदान की गई।

सरदार पटेल ने अन्य राजकीय कैदियों को भी अच्छा खाना मिले, इस तरह की मांग सत्ताधारियों के सामने राखी। उनकी मांग को पुरी करने के लिए उपोषण किया। उनकी वजह से अन्य कैदियों को भी अच्छा खाना मिला। सरदारने साबरमती जेलमें अपने हाथों से पहलीबार डायरी लिखी। डायरी में ७ मार्च, १९३० से २२ अप्रैल, १९३० तक की जेल में हुई घटनाओं का वर्णन है। सरदार को सिगारेट पिये का शौक था। जेल में

धूम्रपान की मनाई थी। उनकी जेलमें सिगारेट पिये की आदत छुट गयी। उसके बाद सिगारेट पिये हमेंशा के लिए त्याग दिया। सरदार को जेल में राजकीय नेता, उनके परिवार के लोग, कस्तूरबा गांधी और उनके मित्र मिलने आए। उनके साथ राजकिय और गुन्हेगार दोनों प्रकार के कैदी रहते थे।

सरदार की गिरफ्तारी (दूसरी बार) :

सरदार पटेल २६ जून, १९३० को साबरमती जेल से मुक्त हो गए। जनता में सत्याग्रह करने की शक्तिको देखकर उनका हृदय खुशीसे नाच उठा। सरकारने गांधीजी को यरवडा जेल में कैद किया था। सारे देशमें लोग गैर कानूनी नमक बनाते थे, दूसरी जगहसे लाते थे, उसे बेचते थे और ऐसा करने में हसते-हसते लाठिया खाते थे और उमंग से जेल में भी जाते थे। सरदारने जेलसे बाहर निकल कर देखा कि सारादेश मानो एक विशाल जेलखाना बन गया है। रास गाँव ने कर बन्दीकी लड़ाई छोडी थी। उसका अनुकरण करके खेडा जिले से एनी लोगों ने भी कर-बन्दीका सत्याग्रह शुरू किया था। खिया वीरांगना बन गई थी। खिया शराबकी दुकानों पर और विलायती कपडोंकी दुकानों पर पिकेटिंग करने लगी थी। इस प्रकार देश के हर नागरिकने अहिंसक युद्ध में स्वयं ही अपना अपना स्थान ग्रहण किया था।

सरदार पटेल जैलासे रिहा हुए तब देशमें इस प्रकारकी स्थिति थी। वे कुछ दिन अहमदाबाद में रहे। वहाँ जोशीले भाषण देकर उन्होंने लोगोंमें जागृति उत्पन्न की। बम्बई और आदि स्थानोंमें जाकर भी सरदारने अपनी आग बरसानेवाली वाणीसे लोगोंमें नई जागृति पैदा की। इसी समय सरकारने काँग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलालजी को गिरफ्तार किया। उन्होंने अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने पिता पंडित मोतीलाल नेहरूपर सौंपी। लेकिन सरकारने उन्हें भी गिरफ्तार किया। उनहोंने अपने स्थान पर सरदार को काँग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किया। सरदारने संपूर्ण देशमें सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ने की योजना बनाने का विचार किया। इतनेमें सरकारने काँग्रेस की कार्यसमितीको तथा उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाली छोटी-बड़ी सारी समितीयों को गैरकानूनी घोषित किया। काँग्रेस के ऑफिसो व मकानो को जब्त कर लिया। सरकारकी उग्र कार्यवाहिसे सत्याग्रह आंदोलन को नया वेग मिला। काँग्रेस को गैरकानूनी घोषित

करनेका सरकारने जो कदम उठाया, उससे सरदार अधिक उत्तेजित हुए। उन्होंने घोषणा की कि अब तो देशका हर घर काँग्रेस-समिती बन जाना चाहिए और देशके प्रत्येक नागरिको को इस तरह व्यवहार करना चाहिए जैसे वह स्वयं काँग्रेस हो। इसी समय लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि आई। उस निमित्तसे बम्बईमें जूलूस निकालने का निर्णय किया गया। उस समय बम्बई प्रान्तीय काँग्रेसकी डिक्टेटर श्रीमती हंसाबेन थी। उनके नेतृत्व में यह जूलूस निकाला। पुलिसने बम्बई काँपोरेशन के भवन के सामने जुलूस को रोका। ये समाचार काँग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों ने तुरंत उस जुलूस में शरीक होने का फैसला किया। सब घटना स्थल पर जा पहुंचे। पुलिस ने जुलूस को फोर्ट के विस्तार में जानेसे रोका। इससे जुलूस बिखरने की बजाए वही जमकर बैठ गया। मुसलाधार वर्षा में भी टस से मस न हुआ। दुसरे दिन सूर्योदय के बाद सब नेताओं और मनिबहन पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारो लोगों को समुदाय को लाठी प्रहार कर के पुलिसने बिखेर दिया। सरदार को फिरसे १ अगस्त, १९३० को गिरफ्तार किया। उनको तिन महीने की जेल की सजा हुई। उनको यरवडा जेलमें ले जाया गया। वे यरवडा जेलमें थे उस समय भी तेजबहादुर सप्रु तथा श्री जयकरने सरकार के साथ समझौता करने के प्रयत्न किए, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। ५ नवम्बर, १९३० को सरदार को जेल से मुक्त किया।

सरदार की गिरफ्तारी (तीसरीबार) :

कर्नाटक और गुजरातमें कर बंदी की लड़ाई शुरू होने के कारण सरकार दमन की अधिक सख्त कारवाई करने लगी थी। जनता को सरदार के भाषणों के प्रभाव से दूर रखने के लिए सरकार द्वारा उन्हें भाषान न देने की नोटिस दी गई। परंतु सरदारने माना नहीं। बम्बई खादी भण्डार के उद्घाटन के समय उन्होंने भाषण किया। ६ दिसंबर, १९३० को सरदार पटेल तीसरे बार गिरफ्तार किए गए। इस बार उनको नौ महीनो की सजा दी गई।

लंदन में १२ नवेम्बर, १९३० को भारत की संविधान का प्रश्नपट चर्चा करने के लिए गोलमेज परिषद ली गई। उसके फलस्वरूप १० जनवरी, १९३१ को ब्रिटिश पार्लमेंट के समक्ष भाषण देते हुए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री राम्जे मकडोनाल्ड ने घोषित

किया कि भारत के जो नेता सत्याग्रह में शरीक हुए हैं वे वाइसरॉय की घोषणाओं को कार्यका रूप देने में यदी सहयोग देंगे, तो उनकी सेवाओं से लाभ उठाया जाएगा। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इसी घोषणा के आधार पर भारत के नरम दल के नेता सरकार के साथ समझौते का प्रयत्न और वाइसरॉयने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ सलाह मशविरा करके गांधीजी तथा काँग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को २५ जनवरी, १९३१ को इस हेतु से जेलामुक्त किया कि सब लोग एक साथ बैठकर भारत के प्रश्न पर चर्चा करे। कुलमिलाकर २६ नेताओं को जेल से मुक्ति किया गया।

सरदार की गिरफ्तारी (चौथी बार) :

५ जनवरी, १९३२ को चौथीबार सरदार को गांधीजी के साथ गिरफ्तार किया। जो नेतागण गांधीजीसे मिलने आये थे, उन्हें भी अपने प्रान्त की और लौटते समय पकड़ लिया गया। सरदार यरवडा जेलमें गांधीजी के साथ जनवरी १९३२ से मई १९३३ तक रहे। दो महीने बाद महादेव देसाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें भी यरवदा जेल में गांधीजी और सरदार के साथ रखा। महादेव देसाई ने ११ मार्च, १९३२ से ७ मई, १९३३ तक की अपनी डायरी में सरदार के दैनिक कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। इस बार सरदार को १६ मास तक गांधीजी के साथ जेलमें रहने का सुअवसर मिला। जेलमें सरदार ने गांधीजी की तथा गांधीजी ने सरदार की अत्यंत प्रेम तथा नम्रता से सेवा की। इसका एक सुंदर चित्र भी महादेवभाई देसाई ने अपनी डायरी में चित्रित किया है। १ अगस्त, १९३३ को सरदार पटेल नासिक जेलमें स्थानांतरित कर दिए गए। इस समय उनके मनपर दो आघात लगे। नवम्बर १९३२ में उनकी माताजी का करमसद में देहांत हुआ। उस समय उनको गहरा दुःख हुआ। परंतु अपने मनके दुःख को छिपाने की कलामें चतुर होने के कारण तथा गांधीजी और महादेवभाई के सहयोग के कारण उन्हें बड़ा आश्वासन मिला। सरदारने सशर्त पैरोल पर रिहा होने से मना कर दिया। २२ अक्तूबर, १९३३ को सरदार के भाई विठ्ठलभाई का स्विजरलैंड में मृत्यु हो गया। इस समाचार से उनका हृदय दुखसे भरा। फिर भी जब श्री विठ्ठलभाई का शव जिनिवासे भारत की भूमि पर लाया गया और बम्बई में उनका अंतिम

संस्कार करने के लिए सरदार को जेलमुक्त करने की लोगोने सरकार से मांग की, तब कुछ शर्तों के साथ सरकार ने उनकी मांग स्वीकार की। परन्तु सरदार ने किसी भी शर्त पर बहार निकालकर अपने बड़े भाई की अंतिम क्रिया करने से इनकार कर दिया। उनके पुत्र दाह्याभाईने अपने ताऊ का अंतिम संस्कार किया। तुरंत जेलमें हाजिर होने का धर्म तो सरदार साहब को स्वीकार ही था। परंतु बाहर रहे उस बीच उन्हें अमुक प्रकार से ही व्यवहार करना होगा, ऐसा बन्धन स्वीकार करके जेलसे छूटने में उन्हें मानहानी मालूम होती थी। इसलिए यह शर्त उन्होंने स्वीकार नहीं की। सरकार के ऐसे कठोर व्यवहार से सरदार के हृदय को गहरा आघात लगा। १९३२ के आरम्भमें पकड़े गए राजनीतिक कैदियों को सरकार धीरे-धीरे छोड़ने लगी थी। उनमें सबसे पहले सरदार की तबीयत की वजह से १४ जूलाई, १९३४ को उनको सरकार ने मुक्त कर दिया। उनकी नाक का दर्द बढ़ गया था। बाहर आकर उन्होंने नाक का ऑपरेशन कराया और फिरसे देश के कार्य में जुट गये।

सरदार की गिरफ्तारी (पांचवीबार) :

दूसरे महायुद्ध का विरोध करने के लिए ऐसा कोई आंदोलन शुरू करना आवश्यक था। गांधीजी ने नैतिक और लोकतांत्रिक दृष्टिसे यह कीमिया खोज निकाला की काँग्रेस हर प्रकार से युद्ध से अलग रहे और स्वाभिमान प्रजाके वाणी - स्वातंत्र्य के जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा के लिए अमुक मर्यादामें युद्ध का विरोध करके व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाये। इस सत्याग्रह का आरम्भ करने के लिए गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में सारी स्थिति समझाई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ १९४० से हुआ था। श्री विनोबा भावे के बाद, दूसरा नंबर था श्री जवाहरलाल नेहरू का। परंतु उन्हें तो सरकार ने पहले ही पकड़ कर चार वर्ष के लिए जेलमें दाल दिया था। इसलिए उनके स्थानपर सरदार को सत्याग्रह करने के लिए चुना गया। वे १८ नवेम्बर, १९४० को अहमदाबादकी सार्वजनिक सभामें युद्धविरोधी नारों का उच्चारण करके सत्याग्रह करनेवाले थे। परंतु सरकार ने १७ नोव्हेंबर, १९४० को ही उन्हें पकड़कर साबरमती जेल में भेज दिया। उस दिन सरदार बुखार में थे। नाक की पीड़ा तो उन्हें सदा बनी ही रहती थी। ऐसी हालतमें उन्हें साबरमती जेल से हटाकर यरवडा जेल भेजा गया। वहा श्री बालासाहेब खेर, श्री मंगलदास पकवासा

आदि प्रसिद्ध साथी पहले से ही मौजूद थे। इस बार जेल की व्यवस्था पहलेसे ही अधिक कठोर थी। खेही कार्यकर्ता और सहयोगी लोगो से सत्ताधारियोने सरदार से मिलने नहीं दिया। सरदार को अंतडियो की बीमारी होने के कारण सरकार ने सरदार को २० अगस्त, १९४१ को छोड़ दिया। इस बार उनका २० पाँड वजन कम हुआ।

सरदार की गिरफ्तारी (छठी बार) :

८ अगस्त, १९४२ को मध्यरात्रीमें काँग्रेस महासमिती ने भारत छोडो का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। उसके पहले ही जोरदार अफवाहे उड़ने लगी थी कि काँग्रेस के सारे नेताओं को सरकार गिरफ्तार करनेवाली है। ९ अगस्त को प्रातःकाल बम्बई में गांधीजी, सरदार पटेल और देश के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन सारे देश में गिरफ्तारियों का दौर चलाकर सेकड़ों लोगों को जेलमें बन्द कर दिया गया। कार्यसमिती के सदस्यों के लिए सरकारने पहलेसेही अहमदनगर के कीलें में व्यवस्था कर रखी थी। उस जेल के अधिकारी के रूपमें इंडियन मेडिकल सर्विस के एक अंग्रेज डॉक्टर को नियुक्त किया गया था। ९ अगस्त को बड़े सवेरे कार्यसमिती के सदस्यों को पकड़ कर एक स्पेशियल ट्रेन में अहमदनगर के किले में ले जाया गया। वहाँ आरम्भ में तीन सप्ताह तक तो बाहर की दुनियासे उन लोगों का सम्बन्ध बिलकुल टुटा रहा। न तो उन्हें अखबार मिलते थे, न पत्र मिलते और न कोई मुलाकाती उनसे मिल सकता था। बाहर से किसी भी प्रकार से समाचार उन्हें न मिले, इसकी विशेष सावधानी रखी जाती थी। तीन सप्ताह के बाद प्रतिबन्ध कुछ हलके हुए। और उन्हें एक अखबार, कुछ पत्र और मुलाकातियों से मिलाने की छुट मिली। यह सरदार का अंतिम कारावास था। इस लम्बे कारावास में आतडो के पुराने रोगाने उन्हें अत्याधिक कष्ट दिया। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। रोगका हमला कई दिनों तक चलता रहता। उस समय सरदार को असंख्य वेदना होती थी। वे भेट भी नहीं सकते थे। घंटो उन्हें बिस्तर पर बैठे रहना पड़ता था। वे खाना तो खा ही नहीं सकते थे। केवल पानी पीकर ही रहते थे। १९४३ की गर्मियों में उनका वजन १५ पाँड घाट गया। दूसरी बार २० पाँड घाट गया। इतना सब होनेपर भी सरकार ने उन्हें अपने डॉक्टर को तबीयत बताने की इजाजत नहीं दी। इस बार निर्णय कर

लिया था | इस निर्णय पर अच्छी तरह अमल हो इस खयाल से सरकार ने अहमदनगर जेल के लिए एक फ़ौजी डॉक्टर की नियुक्ति की थी और उसे सूचना दे दी थी कि किसी की जिन्दगी का खतरा हो तो ही उसे स्वास्थ्य के कारण छोड़ने की सिफारिश की जाए | व्यक्तिगत सत्याग्रह में पकड़े जाने के बाद १९४१ में सरकार ने सरदार को स्वास्थ्य के कारण जेलमुक्त कर दिया था | परन्तु इस बार उनकी तबीयत अधिक बिगड़ी तो भी सरकारने उन्हें छोड़ने के बारेमें कोई विचार नहीं किया |

१९४५ में जर्मनी ने महायुद्ध में हार स्वीकार की | परन्तु जापान अभी युद्ध लड़ रहा था | भारत को जनता का युद्ध में सक्रीय सहयोग मिले तो इस युद्ध का जल्दी अंत हो, इस खयाल से वाइसरॉयने यह घोषणा की, कि भारत का भावी संविधान भारतीय लोग स्वय ही बनायेंगे | परन्तु यह ध्येय युद्ध पूरा होने के बाद ही सिद्ध किया जा सकता है | फिर भी तात्काल उठाये जानेवाले कदम के रूपमें वाइसरॉयने अपनी कार्यकारिणी में प्रधान सेनापति के सिवा एनी सदस्य देश के विभिन्न पक्षों में से नियुक्त करने की तैयारी बताई | २५ जून , १९४५ को वाइसरॉयने शिमला में सब पक्षों की एक परिषद बुलाई और जेल में बंद किए हुए काँग्रेसी नेता परिषद में भाग ले सके इस हेतुसे १५ जून को उन्हें मुक्त कर दिया |

समापन :

१९३० में साबरमती जेल से सरदार की जेल यात्रा शुरू हुई और १९४५ में ख़तम हुई | जेल में उनकी तबियत अच्छी नहीं रहती थी | इसके बावजूद भी उन्होंने मातृभूमि को अंग्रेजो की गुलामी से मुक्त करने का संघर्ष जारी रखा | भारत को आझाद करने हेतु वे स्वयं कैद रहे | जेल में उनको स्वातंत्र्य सेनानी मिलने आए | सरदारने सभी राजकीय कैदियों को समान भोजन मिले इसलिए उपोषण किया | जेल में साथ रहने की वजह से सरदार और महात्मा गांधीजी और एक दुसरे को समज पाए | १९३० से १९४५ तक वे ६ बार जेल गए | वे ६ साल से अधिक कारावास में रहे | सरदार जेल में रहे उस समय उनकी माता और बंधू का निधन हुआ | तब उनको गहरा दुःख हुआ | परन्तु अपने मनका कुख छिपाकर वे देशकी सेवा में तल्लीन रहे | सरदार ने पहलीबार अपने हाथ से डायरी लिखी | उन्होंने सिगारेट पीना हमेशा के लिए

त्याग दिया | सरदार का संघर्षमय जेल प्रवास उनकी महान देशभक्ति बताता है।

संदर्भ :

१. रावज्जभाई म. पटेल, डिंट के सरदार, नवज्वन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद.
२. मेधा गोपाल त्रिवेदी, भारतना स्थापति सरदार वल्लभभाई पटेल, अशोक प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
३. सरदारनी जेल, डायरी, ज्वन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
४. यशवंत दोशी, सङ्ग नेतृत्वनी कथा, सरदार वल्लभभाई पटेलनु ज्वनयत्रि, भाग - १, नवज्वन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
५. विश्वप्रकास गुप्त, मोहिनी गुप्त, सरदार वल्लभभाई पटेल, व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
६. Narhari D. Parikh, Sardar Vallabhbhai Patel, Vol-II, Navajivan Publishing House, Ahmedabad.
७. K.L. Panjabi, The Indomitable Sardar, Bharatiy Vidya Bhavan, Ahmedabad.
८. Rajmohan Gandhi, Patel, A Life, Navajivan, Publishing House, Ahmedabad.
९. K.L. Khurana, Indian History. (A.D. 1206 - 1947), Lakshmi Narayan Agrawal, Agra.